न्यायालय जिला कलेक्टर एवं प्रथम अपील अधिकारी,टोंक

प्रकरण संख्या 50/2020
प्रविष्टि दिनांक 12-11-2020

लियाकत अली निवासी हमालों की मस्जिद के पास टोडारायसिंह जिला-क राज0
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह जिला-टोंक
--प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 17-12-2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह को आवेदन पत्र दिनांक 15-9-2020 को प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

1-नगर पालिका टोडारायसिंह फेरा-फेरी क्षेत्र के जयपुर चुंगी नाके से लेकर रतवाई तक जयपुर रोड के दोनो तरफा कितनी चारागाह व सिवायचक भूमि स्थित है। इस चारागाह/सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर, नक्शा ट्रेस की सत्य प्रतिलिपि।

2. उक्त चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण/अवैध कब्जा है या नहीं अगर अतिक्रमण है तो कितना और किस किस खसरा नम्बर पर किन किन लोगों का अतिक्रमण है उसकी सूची

3. उक्त चारागाह भूमि/सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु आपके क्या प्रयास रहे और कितनी भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है उसकी सूची मय खसरा नम्बर के।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नही होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह से आवेदक को सूचना नही दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह ने उनके पत्र क्रमांक 831 दिनांक 11-12-2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना के सम्बन्ध में आवेदक को पत्र क्रमांक 614 दिनांक 28-9-2020 से अवगत करा दिया गया था कि वह बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त कर लेवें तथा बिन्दु सं0 3 की सूचना प्रश्नात्मक है, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना या समस्याओं का समाधान किया जाना उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित नही है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया तथा जवाब का अवलोकन किया अपीलार्थी को सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा जवाब भिजवा दिया गया है। अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह जिला-टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:06:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते (राजस्थान)

Scanned by CamScanner